60 (7) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा कार्य–भार ग्रहण करने की समय–सीमा

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों में नियुक्त व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी काफी समय तक पद रिक्त रहते हैं। सरकार ने स्थिति की समीक्षा की तथा यह निर्णय लिया कि नियुक्त व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने की समय–सीमा नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से 3 महीने तक होगी ऐसा न करने पर किसी भी सा.क्षे. के उपक्रम में बोर्ड स्तर के पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख नियुक्ति प्रस्ताव में भी किया जाए। निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के नाम संबद्ध मंत्रालय/विभाग स्थापना अधिकारी और सचिव, लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त निर्णय के अनुपालन पर ध्यान दें।

(डी पी ई का तारीख 8 दिसंबर, 1998 का का.ज्ञा. सं. 18(21)98–जीएम)